[Shri Y. B. Chavan]

covered by this; anything that is likely to affect communal harmony which will lead to a public order matter is likely to be covered.

No further explanations are necessary.

MR. SPEAKER: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN: I introduce the Bill.

12.39 HRS.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Uttar Pradesh Budget for the year 1968-69 as also the cut motions moved on the 26th August, 1968 in respect of those Demands.

As regards the discussion on U.P. Demands, I would like to say something. I know that a large number of Members would like to participate. But the time is very short. But immediately after this, we are having another discussion for about three hours regarding the extension of President's rule in U.P. I hope that the parties will see that those who have not participated on the Demands may be enabled to participate on that.

There is also one other suggestion namely that the Appropriation Bill may be passed and 4 hours may be taken in all on the resolution regarding the Proclamation in relation to U.P., so that everybody can speak in general on the problems of U.P., law and order etc., etc.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): दो चर्चाओं को मिलाया न जाय। अलग अलग लिया जाय।

MR. SPEAKER: The Bill may be passed, and I was suggesting that 4 hours may be taken on the resolution. I thought that we could have one more hour on the discussion relating to U.P. Those who want to speak on this may speak on this. But I would appeal to those who have spoken already not to get up again.

SHRI RANGA (Srikakulam): What about the time for our party?

MR. SPEAKER: He will get twenty minutes, whether it be on this or the other one.

But we must finish these Supplementary Demands in one hour.

श्री विश्वनाथ पांडेय (सलेमपुर): श्रीमन्, कल मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन कितना ही सुन्दर और अच्छा हो लेकिन जन-प्रतिनिधि शासन के मुकाबिले लोग उस को पसंद नहीं करेंगे और यह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में जन-प्रतिनिधि शासन नहीं है और जन-प्रतिनिधि शासन न होने की वजह से कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय राष्ट्रपति शासन के। इस सदन में काफी चर्चा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह सही है। उस की जनसंख्या आज भारतवर्ष की जनसंख्या की 1/6 है। यह बात तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन 20 वर्षों के अन्तर्गत कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन वह विकास नगण्य है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका है। उस का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं हुई है और न उस के पिछड़ेपन के आधार पर हुई है। दो पंच वर्षीय योजनाएं जो व्यतीत हुई उस में कोई भी केन्द्रीय उपक्रम

राज्य में स्थापित नहीं किया गया। यह खास वजह है जिस से उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है। इस के पिछड़ेपन के कुछ आकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1950–51 में इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 252.62 रुपये थी लेकिन वही इस समय 227.60 प्रति व्यक्ति रह गई है जब कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय 313.10 के करीब है। तो हर प्रान्त तो राष्ट्रीय आय में आगे बढ़ा लेकिन उत्तर प्रदेश और पीछे चला गया। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 289 जिले हैं जिनमें 58 जिले बिलकुल निर्धन, बिलकुल पिछड़े हैं। उस में दो श्रेणियाँ हैं। 29 जिले ऐसे हैं जिन की प्रति व्यक्ति आय 146 रुपये है और दूसरी श्रेणी में 29 जिले ऐसे हैं जिन की प्रति व्यक्ति आय 147 रुपये है। इन दोनों ही श्रेणियों में 22 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के हैं कि जो पिछड़े हुए जिले हैं। उत्तर प्रदेश की 35 प्रतिशत जनता इन पिछड़े हुए जिलों में रहती है जिस में अधिकतर पूर्वांचल के, उत्तराखंड के और बुन्देलखंड के जिले हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है।

12.43 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

उत्तर प्रदेश की इस हालत में सुधार तभी हो सकता है जब कि केन्द्र उस को जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थ-व्यवस्था है वह कृषिप्रधान है। कृषि से 60 प्रतिशत आय होती है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। लेकिन कृषि की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है वह करीब 4 करोड़ एकड़ है। इस वक्त करीब 3 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। जनसंख्या 10 करोड़ है। अगर उस अनुपात से देखा एकड़ जाय तो लगभग आधा एकड़ प्रति व्यक्ति हिसाब पड़ता है। इस तरह से सर्वदा उत्तर प्रदेश अभावग्रस्त क्षेत्र रहेगा जहां तक कि खाद्यान्न का सवाल है। इस सम्बन्ध में हमें करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो ग्रामीण अंचल है उस के अन्दर औद्योगीकरण करें और सिंचाई का समुचित साधन दें। मैं आप के माध्यम से यह आग्रह इस वक्त नहीं करना चाहता कि आप बीज अच्छा दें या फर्टिलाइजर दें। केवल सिंचाई का प्रबन्ध आप कर दें। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि कृषक अन्न उपजावें और दूसरी तरफ जो प्रतिबन्ध आप सिंचाई के साधनों पर लगा रहे हैं वह असहय है। अभी आप ने सिंचाई शुल्क दुगुना कर दिया है। अब तक स्थिति इस प्रकार थी कि ग्रामीण अंचल में प्रति अश्व शक्ति प्रति वर्ष 90 रुपया गारन्टी ली जाती थी। किन्तु अब नई व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि किसान को प्रति वर्ष लगभग दुगुना पैसा देना होगा। आप ने गारन्टी के तरीके में जो परिवर्तन किया है उस के फलस्वरूप अब उसे 10 अश्वशक्ति पर प्रति वर्ष 960 रुपया देना होगा। और इस के अलावा जो कृषि के काम के लिए बिजली लेगा, एक नलकूप 10 अश्वशक्ति का जो होगा उस में उस को 12 सौ रुपया बिजली का देना पडेगा यानी 2160 रुपये कुल उसे देने पड़ेंगे। आप सरकारी ट्यूबवेल लगाने नही जा रहे हैं। वह तब लगाएंगे जब 300 एकड़ के किसान एक साथ उस के लिए तैयार होंगे कि हम अपना खेत इस से भरेंगे और 20 प्रति एकड़ सिंचाई शुल्क देंगे। यह भी

[श्री विश्वनाथ पांडे]

अनुचित बात है। पहले तो सरकारी ट्यूबवेल जहां जरूरत थी वहां सरकार ने लगाए। तो मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्दर आप सरकारी ट्यूबवेल कितना लगाएंगे और किस तरीके से सिंचाई के साधनों की जो कमी है उस को दूर करेंगे?

उत्तर प्रदेश में बाढ़ सर्वदा आती रहती है। इस वर्ष जो आंकड़े उस के हमारे सामने प्रस्तुत हैं वह बलिया और देवरिया के लिए प्रस्तुत हैं। वहां पर अत्यन्त गरीब लोग हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लेकिन वहां की सरकार उन को क्या दे रही है? नमक, दियासलाई और चने। जिन के घर गिर गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, जिन का सारा सामान नष्ट हो गया है, उन को दियासलाई, नमक और चने दिए जायं, यह एक हास्यास्पद चीज है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और सौभाग्य से प्रधान मंत्री भी इस समय उपस्थित हैं, जिस प्रकार आप ने अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्रधान मंत्री कोष से सहायता दी है उसी प्रकार प्रधान मंत्री कोष से देवरिया और बलिया के इन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करें।

हमारे गृह मंत्री भी इस समय मौजूद हैं। उन्होंने शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शांति और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए डी० आई० जी०, आई० जी० और इंसपेक्टर्स बढ़ा दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम्स कम हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री भी बैठे हैं और प्रधान मंत्री भी बैठी हैं, डी० आई० जी०, आई० जी० के बढ़ानें से जुर्म नहीं घट सकतें हैं उस के लिए आप को उस की बुनियाद में जा कर कारण ढूंढना पड़ेगा और उस के निवारण के लिए और तरह से काम करना पड़ेगा। इन्होंने खुद जो आंकड़े पेश किए हैं वह आप देखें। 1967 में हत्याएं 1234 हुई और दंगे 2845। 1968 में हत्याएं बढ़ कर 1323 हो गईं और दंगे 3044। इतने डी० आई० जी० और आई० जी० के होने पर भी हत्याएं और दंगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यह तो ऐसे ही हुआ जितनें ही ज्यादा इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, डी० आई० जी०, आई० जी० आप ने बढ़ाए उतने ही यह हत्याएं और दंगे बढ़ते गए और जितना ही और बढ़ाएंगे उतने ही यह और बढ़ेंगे। बलिया का एक किस्सा मैं आप के सामनें रखना चाहता हूं। वहां पर महावीर जत्था निकला। प्रतिवर्ष रक्षा बन्धन के दिन वह निकलता है। वहां पर गोली चलाई गई और कई आदमी उस में हताहत हुए। अगर अधिकारी-वर्ग ठीक तरह से काम करते तो गोली चलाने का यह कोई वक्त नहीं था क्योंकि वह जुलूस वहां प्रति वर्ष निकलता है और वह सुनियोजित था, सुन्दर ढंग से जा रहा था। वहां के लोगों की एक मांग है कि उस की न्यायिक जांच करायी जाय। अगर उस में वहां के लोगों का कोई दोष नहीं है और सरकारी अधिकारीयों का दोष है तो अवश्य इस की न्यायिक जांच करायी जाय। इस में सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि बलिया में जो यह गोलीकांड हुआ है रक्षा बंधन के दिन उस की न्यायिक जांच करायी जाय।

इस के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के किसान हैं। जगजीवन बाबू ने ऐसी नीति अपनायी जिस नीति के द्वारा लोगों को काफी पैसा मिला गन्नें की कीमत के रूप में। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार

से प्रार्थना करे कि गन्ने की कीमत कम से कम 6 रुपये मन रखी जाय क्योंकि लकड़ी की कीमत आज 6 रुपये, सात रुपये मन है तो गन्ने की कीमत इस से कम न रखी जाय और जगजीवन बाबू ऐसी नीति अपनाएं जिस से किसानों को समुचित लाभ हो।

उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित होने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि आण्विक शक्ति का प्लान्ट किसी भी स्थान पर उत्तर प्रदेश में हो जिस से कि प्रदेश की हालत में सुधार हो। इस के अलावा पटेल आयोग ने जो संस्तुति की है, उस में बहुत से पुल भागलपुर में, भटनी में और नदावर घाट में बनाने की बात है, इन पुलों को पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं डिमांड का समर्थन करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति का शासन है और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होनेवाला है। यह आशा की जाती है कि अब से लेकर मध्यावधि चुनाव होने तक शासनतन्त्र का दलगत लाभ के लिये उपयोग नहीं किया जायगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन का उपयोग कर के कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से अपनी पैंतरेबाजी चला रही है। अधिकारियों की नियुक्ति में, यहां तक कि उन के तबादले में भी राजनीतिक प्रभाव काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय प्रधान मंत्री से प्रेरणा लेते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं.....(**व्यवधान**).....जो राज्य के पुराने दो मुख्य मंत्री हैं उन के संघर्ष की पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं।

अभी राज्यपाल महोदय ने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से सम्बन्धित कानूनों की देखभाल करेंगी तथा उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को उस कमेटी का प्रधान बनाया है। चौधरी साहब इस काम के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं, मगर कांग्रेस के नेताओं को इस पर भी आपत्ति है और इस के लिये वह राज्यपाल की आलोचना कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने यह काम प्रधान मंत्री के इशारे पर किया है क्योंकि प्रधान मंत्री चाहती हैं कि चौधरी चरण सिंह भविष्य में आगे आयें। मैं नहीं जानता कि इस आरोप में कहां तक सच्चाई है...

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ऐसी बात मत कहो, वह तो आपके नेता हैं।

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : कोई भी विषय हो माननीय सदस्य की कोशिश यही होती है कि उस को राजनीतिक रंग दिया जाय, कांग्रेस क्या कर रही है या कौन क्या कर रहा है.....

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम भूल जाते हैं कि बजट के अन्तरगत सब विषय आ सकते हैं, अब कठिनाई यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इस की जानकारी आपको नहीं है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह बजट की बहस नहीं चल रही है, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डस् हैं। दोनों के अलग अलग नियम हैं, बजट में सब के लिये कहा जा सकता है, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डस् में सब कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) पंत जी, अब याद आई है। जब तक पाण्डेय जी सब कुछ कहते रहे तब तक नहीं बोले।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The supplementary demands are a miniature budget. You must consider that.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी दलगत राजनीति में भाग न लें—इस का प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है। अधिकारी अगर राजनीति में हिस्सा लेगें तो शासन बिगड़ जायगा, अधिकारी अगर गुटबन्दी में फंसेंगे तो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस आरोप की जंच की जाय—उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव फाइलें लेकर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के यहां जाते हैं....

श्री शिव नारायण : यह गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपके कहने मात्र से गलत सिद्ध नहीं होगा।

श्री शिव नारायण : चरण सिंह को प्रेसिडेंट बनाया है—यह आपने खुद ही कहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे .....

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : दोनों के यहां जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : दोनों के यहां जाते हैं—वह और भी गलत है। अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस तरह से राजनीति में दखल देगें तो यह शासनतन्त्र के लिये बहुत बुरा होगा। मैं एक और उदाहरण आपको दूं—जब चौधरी चरण सिंह विधान सभा में कांग्रेस दल छोड़ कर विरोधी दल में आ कर बैठे, उस समय तक वे मुख्य मंत्री नहीं बने थे—उन को बधाई देने के लिये अनेक अफसर गये—यह उत्तर प्रदेश के अफसरों की स्थिति है —चाहे यह कांग्रेस के लिये हो या विरोधी दल के लिये हो—स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि मध्यावधि चुनाव होने में कांग्रेस का स्वार्थ है, लेकिन...

श्री शिव नारायण : सब का स्वार्थ है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारा भी स्वार्थ है, मगर हम शासन तन्त्र का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है तथा केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में शासन के लिये उत्तरदायी है। मैं चाहूंगा कि शासनतन्त्र का दुरुपयोग किसी भी दल के लिये नहीं होना चाहिये, न दल के किसी गुट के लिये होना चाहिए और जब तक मध्यावधि चुनाव नहीं होते आप अफसरों के तबादले बन्द कर दीजिये। अफसरों के तबादले चुनाव को ध्यान में रख कर कराये जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं जगह बतला सकता हूं कि किस उम्मीदवार को हराने के लिये किस अफसर को भेजा जाय, इस का मोहरा बैठाया जा रहा है। कम से कम मध्यावधि चुनाव तक अफसरों के तबादले रोके जा सकते हैं– इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का हूं और वहां की जनता द्वारा इलैक्टेड मेम्बर हूं। मैं वाजपेयी जी से निवेदन करना चाहता हूं—प्रधान मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं—हम दलगत बात नहीं करना चाहते हैं—आज वहां पर प्रेसिडेन्ट रुल है, डिक्टेटरशिप की सरकार है, जिसकी आप मांग करते थे, जिसका आप ख्वाब देखा करते थे, कांग्रेस गवर्नमेन्ट को गालियां देते थे, कहते थे निकम्मी सरकार है, इस को बदलो, डिक्टेटरशिप लाओ—वह नमूना आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहां के गवर्नर महोदय ने आठ रुपया फ़ी हार्स पावर रेट बढ़ा दिया है, इस से किसानों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। हम अमरीका से भीख मांगते हैं–

लेकिन जब किसान काम करना चाहता है तो पहले उस को साढ़े सात हार्स पावर के लिये 675 रु० सालाना देना पड़ता था, चाहे खर्च करे या न करे, आज उस को डबल कर दिया गया है। मैं किसानों की वोट से चुन कर आया हूं, इस लिये किसानों की वकालत करने यहां पर आया हूं। मैं प्रधान मंत्रीजी की नौलिज में भी इस बात को लाया हूं और वहां के चीफ़ सैक्रेटरी से भी कहना चाहता हूं कि वह गवर्नर साहब के पास हमारा यह मैसेज कन्वे कर दें—यह उचित नहीं है, अनुचित है, हमारी मांग है कि इस को एबोलिश किया जाय।

जैसा पांण्डेय जी ने कहा, मैं उस जिले से आता हूं जहां राप्ती नदी और उस की सात नदियां हैं। जब बरासात पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि समुद्र आ गया है। बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में घाघरा बढ़ती है तो पानी ही पानी दिखाई देता है, उस का कोई कन्ट्रोल नहीं है। मैंने उस समय यू० पी० गवर्नमेन्ट को एक सजेश्चन दी थी और उसे यहां पर भी रखा था कि 16 करोड़ रुपया खर्च करने से हम उस को कन्ट्रोल कर सकतें हैं। मैं चाहता हूं कि इस घाघरा नदी का कन्ट्रोल किया जाय। मैं यहां पर पोलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आया हूं—मैं सरकार से मांग करता हूं—

गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। मैं किसानों की मांग यहां पर पेश करनें आया हूं, इस मुल्क की मुसीबतों को हल करनें के लिये यहां पर आया हूं। फूड मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हैं—मैं उन के बाजुओं को मजबूत करना चाहता हूं। उनको खेती कर के अन्न देना चाहता हूं, बजाय बिदेशों से और दूसरे राज्यों से भीख मांगने के हम अपने बाजुओं से काम कर के सरकार को अन्न देना चाहते हैं।

चुनाव की जो बात वाजपेयी जी ने उठाई—मैं कहता हूं कि किसी अफसर का ट्रांसफर न करें—हमारे अफसर बहुत ईमान्दार हैं। मैं जैनरल इलैक्शन में लड़ कर आया हूं, हमारे यहां दो अफसर थे—मैं दोनों की सराहना करना चाहता हूं। मैं ईमान्दारी से कहना चाहता हूं कि जब मैंने कलैक्टर से कहा कि बड़ी गुण्डागर्दी हो रही है, मगर उन्होंने कहा कि बरदाश्त करो। हमारे यहां मशहूर था, जनसंघ पर चार्ज लगाते थे, लेकिन हम ने बरदाश्त किया। मेरे यहां बहुत से अफसर आते हैं, चले जाते हैं, मैं पहचानता तक नहीं, क्योंकि मैं उन के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन आपके शिक्षा विभाग से एक किताब निकली है—पन्त जी, यहां पर मौजूद हैं—मेहरबानी करके ज़रा उस किताब का ज़िक्र कर देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may resume his speech after lunch.

13.00 HRS.

The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69—*Contd.*

श्री शिव नारायण: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नैनीताल के इलाके में और अलमोड़ा के इलाके में मैं दौरा करके आया हूं, वहां पर जितनी गरीबी है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। मुझे देखकर

[श्री शिव नारायण]

तरस आया। मैं तमाम जगहों पर घूमा हूं। बुन्देलखंड के इलाके में लोग गढ़े का पानी पीते हैं, उनको पीने का पानी तक एवेलेबिल नहीं है।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गये न ऊबरै मोती, मानुष, चून।"

यह बहुत गम्भीर बात है। आज उत्तर प्रदेश में प्रेसीडेन्ट रूल है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि बुन्देलखंड के इलाके को इग्नोर न किया जाए बल्कि गम्भीरतापूर्वक उसपर ध्यान दिया जाए। वह बड़ा अच्छा इलाका है। बड़ी मात्रा में वह गेहूं पैदा करके दे सकता है बशर्ते कि आप वहां पर पानी का इन्तजाम कर दें, खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं ला ऐन्ड आर्डर पर आता हूं। मुझे अफसोस है कि यहां पर होम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजला ऐन्ड आर्डर नहीं है। हरिजनों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके सर पर नंगी तलवार नाच रही है। आंध्र से जरा सी आवाज हुई तो आप एलर्ट हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश टोटली नेग्लेक्टेड है। जिस इलाके को हम बिलांग करते हैं वह वहां पर भी टोटली नेग्लेक्टेड है और इस सरकार में भी टोटली नेग्लेक्टेड है। सरकार में भी उस इलाके का कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह पूर्वी इलाका आज जर्जरित हो रहा है। जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी यहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर थे तो उनसे हमने एप्रोच की थी और उन्होंने बस्ती, बलिया को पटेल कमीशन के अन्तर्गत शामिल कर लिया था लेकिन बीच में गोरखपुर को छोड़ दिया गया। गोरखपुर उस इलाके का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का केन्द्र है, रेलवे का जंक्शन है। उस जिले को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ला ऐन्ड आर्डर की सिचुएशन यह है कि थाने में जो भी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, वही पीटा जाता है और थानेदार साहब उसी से पैसा वसूल करते हैं। यह आलम है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का। उत्तर प्रदेश के अफसरान नोट करें, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं बल्कि पक्के हैं, जिस अफसर के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेज हों उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में मैं वाजपेयी जी से एग्रीड हूं कि अफसरान के खिलाफ कोई चार्जेज हों तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।... (व्यवधान) .....मैं वही कह रहा हूं कि हत्यायें हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, लोग मारे पीटे जा रहे हैं। यह बात एक कांग्रेस वाला कह रहा है, कोई अपोजीशन वाला नहीं कह रहा है। कांग्रेस का ही यह दम है कि हम जो भी चाहें कह सकते हैं। यह चेकोस्लोवाकिया नहीं है और न यहां पर हम आप की तरह रूस के ही नमूने हैं। हमको हर बात कहने की फ्रीडम है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हम बताते हैं उसपर अमल करो। आज हमारे हरिजनों के लड़के एम. ए. पास हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। इस बात के लिए मैं ने पन्त जी का अटेन्शन दा किया है। जनसंघ के नेताजी यहां से चले गए हैं, एक आफिसर से किताब लिखवाई गई है, मैं कहता हूं कि गवर्नर साहब उसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि वे इस बात की

जांच करायें कि ऐसी गन्दी किताब किसने लिखी है। डिमोक्रैसी का हनन करने के लिए वह किताब लिखवाई गई है, उसको तो चौराहे पर फुंकवा देना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : किताब का नाम क्या है ?

श्री शिव नारायण : सभी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : वह किताब किस ने लिखी है ?

श्री शिव नारायण : पंत जी जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि करप्शन जोकि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में व्याप्त है उस को मिटाने के लिए मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

ट्यूबवैल्स के बारे में बहुत अंधेरगर्दी है। उदाहरणस्वरूप मैं बतलाना चाहता हूं कि पिपरा गौतम भेलवाल में एक लक्ष्मीसिंह ठाकुर किसान हैं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत त्याग व तपस्या की है और जबकि उस गांव के उन ठाकुरों ने हलदी की एक नाव को लूट लिया था तो अंग्रेजों ने उस इलाके को तबाह कर दिया था, उन्होंने ट्यूबवैल के लिए जमाना हो गया दरख्वास्त दी थी लेकिन अभी तक उन को वह ट्यूबवैल नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि इस बारे में जांच की जाय।

मेरे मित्र श्री के० के० नायर सदन में बैठे हुए हैं वह आप को उस प्रदेश के प्रशासन के बारे में बतलायेंगे कि वहां कैसा अंधेर मचा हुआ है। मैं अन्त में और अधिक न कहते हुए उत्तरप्रदेश की बजट ग्रांट्स का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि पिछली संविद सरकार ने हमारे गरीब हरिजन बच्चों के लिए शिक्षा सम्बंधी ग्रांट जोकि उन्हें मिला करती थी उसे उसने बंद कर दिया था वह फिर से चालू कर देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश की बजट डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

श्री महन्त दिग्विजय नाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सप्लीमैंटरी डिमांड्स फौर ग्रांट्स पर अपने विचार प्रकट करने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया है उस के लिए मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं।

मैं उस जगह से आ रहा हूं जोकि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का स्थल रहा है चाहे वह सन् 1857 का स्वातंत्र्य समर हो या वह सन् 1921 की भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन हो। भारतीय राजनीति में सदा उस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देश की खातिर वहां के लोगों ने जितना त्याग व बलिदान किया है उतना देश के अन्य किसी हिस्से में नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप को उसी के साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां के लोग इतने गरीब हैं कि एक वक्त भी उन को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। और सूबों के मुकाबले वहां पर इतनी अधिक आबादी है, और भूमि भी उस के अनुसार कम है इसलिए वहां आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और वह इस स्थिति में नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को दोनों वक्त भरपेट खाना खिला सकें। वहां पर काफ़ी गरीबी फैली हुई है। वहां के लोग कोयला खानों में मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं यानी झरिया, धनबाद और रानीगंज कोल माइंस में आप को यहां के लोग मजदूरी करते बहुत अधिक मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहां के लोग देश से बाहर भी मजदूरी करने जाते हैं और बैंगकाक और अन्य देशों में मजदूरी आदि करके अपना जीवनयापन करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गोरखपुर पूर्वी अंचल की

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

एक ऐसी जगह है और जिसमें देवरिया, बस्ती और बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है जहां पर कि आप को पूरा पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।

वह कृषि प्रधान क्षेत्र है और उस की उन्नति की ओर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उधर नैपाल की तराई के किनारे पर चले जाइये। वहां पर केवल एक फसल होती है जिसको कि लेट पैडी यानी अगहनी कहते हैं। सिंचाई का कोई साधन नहीं है वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और परिणामतः पांच साल में केवल दो साल की ही फसलें होती हैं और पानी के अभाव में तीन वर्ष सूखा रहता है। न तो वहां पर बिजली के कुएं हैं और न ही लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था है। न वहां पर नहरें हैं न कुएं, तालाब आदि हैं और सिंचाई के लिए किसी प्रकार का साधन वहां पर न होने के कारण जो ऐरिया धान के लिए सरप्लस ऐरिया है और दूसरे जिलों को धान दे सकता था वह स्वयं अपने खाने भर भी अनाज पैदा नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि गवर्नमैंट वहां पर अपनी ओर से अधिक से अधिक ट्यूबवैल्स लगाये और साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि उन्हें बिजली सस्ती दर पर उस के लिए मुहैय्या की जाय। आज राष्ट्रपति शासन के दौरान किसानों को बिजली महंगी दर पर दी जा रही है अर्थात् 8 रुपया फ़ी हौर्स-पावर प्रति मास के हिसाब से दी जा रही है। एक साल में 96 रुपया हम को अधिक देना पड़ रहा है। अगर दस हौर्स पावर पर हिसाब फैलाया जाय तो 960 रुपया आता है। इसके अतिरिक्त जो बिजली खर्च होती है उसका अलग से शुल्क लिया जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से ट्यूबवैल्स जोकि प्राइवैट्ली लोगों ने लगाये भी हैं वह भी उन्हें डिस्कनैक्ट करने जा रहे हैं। बजाय इस के किसान लोग उन ट्यूबवैल्स को बिजली से चलायें उन्हें उन ट्यूबवैल्स को डीज़ल आयल से चलाना सस्ता पड़ेगा। चार महीने बरसात में बिजली इस्तेमाल नहीं होती है लेकिन बिजली का उस चार महीने के लिए उन से सरचार्ज वसूल होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिजली की दर को सस्ती करने के बारे में ध्यान दे। अगर उन को बिजली सस्ती दर पर नहीं दी गयी तो कृषि उत्पादन में कमी हो जायगी और लोग भूखों मरेंगे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर कुंओं में रहट लगाये जा सकते हैं और वहां पर ट्यूबवैल्स की जगह पर लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था करें, बड़े बड़े तालाबों से लिफ्ट इरीगेशन से आप पानी दे सकते हैं।

रुपये के अभाव में वहां गंडक की योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है लेकिन जब भी वह 2, 3 या 4 वर्ष के बाद तैयार हो जायगी तो उस से बिहार के भी बहुत से हिस्से को पानी मिल सकेगा। साथ ही पूर्वी हिस्सा जो आप का गोरखपुर या देवरिया का है उस को भी पानी मिल सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि फ़ाइनैंस मिनिस्टर साहब इस पर अधिक से अधिक ध्यान देकर इस गंडक योजना को पूरा कर दें और ऐसा करके वह एक बहुत बड़ा उपकार इस अंचल का कर सकेंगे।

मैं एक बात की तरफ़ और हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि उद्योगपतियों को विशेषकर अल्युमीनियम के कारखाने के लिए जो रिहैन्द डैम से बिजली दी जाती है उस की दर खेती वालों को दी जाने वाली बिजली की दर से बहुत कम है। मज़े की बात यह है कि उद्योगपतियों के लिए तो कारखाने के लिए बिजली की दर

में रिआयत दी गई है लेकिन खेती वालों के लिए उस में बिलकुल रिआयत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाय और यह बिजली के रेट किसानों के लिए कम करने और पानी के साधन उन्हें मुहैय्या करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

किसानों को उचित कीमत पर खाद और उन्नत बीज मुहैय्या करने चाहिए। जो एन ई एस ब्लाक्स है इन को बिलकुल खत्म कर देना चाहिए और जो पैसा इस तरह से बचे वह बिजली, खाद और अच्छे बीज किसानों को देने पर खर्च किया जाय और अगर ऐसा किया गया तो खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ सकेगा।

इस के बाद मैं कुछ शब्द इन सांप्रदायिक दंगों के बारे में आप से कहना चाहता हूं। आखिर क्या आप ने कभी सोचा है कि यह साम्प्रदायिकता या यह राष्ट्रीयता है क्या? इस देश का विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था। जो यहां पर बहुमत में हैं वह हिन्दुस्तान के नेशनल्स है इसलिए साम्प्रदायिक दंगों के नाम पर इस तरह हिन्दु बहुसंख्यक को बदनाम करना हमारे ख़याल से उचित बात नहीं है।

अब इस का थोड़ा सा इतिहास मैं बतला देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किस का हाथ है? अगर यह थोड़ा सा आप की समझ में आ जाय तो आप इस समस्या को सही रूप में समझ सकेंगे। हकीकत यह है कि सन् 1947 के बाद से सन् 1960 तक कोई साम्प्रदायिक दंगे इस देश में नहीं हुए। सन् 1961–62–63 और 64 इन चार सालों में ज्यादा दंगे हुए। सन् 1965 में कुछ कम हुए और वह इसलिए कि पाकिस्तान का हमला हुआ लेकिन 66–67 और 68 में फिर अधिक दंगे शुरु हो गये? आखिर इस का क्या कारण है? दरअसल यह एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र हमारे देश के खिलाफ़ चल रहा है कि अंदरूनी तरीक़े से हम लोगों को कमजोर कर दिया जाय और फिर बाहरी आक्रमण करके इस देश को गुलाम बना दें। यह बहुत बडा षड़यन्त्र है जिसके लिए सरकार को सतर्क होना चाहिए। अगर उस पर आप ने ध्यान नहीं दिया और सावधानी व सतर्कता नहीं बर्त्ती तो देश का बड़ा अहित हो सकता है। आप समझ लीजिये कि दूसरे देशों में भी अल्पसंख्यक लोग हैं लेकिन यह साम्प्रदायिक दंगे के नाम पर कहीं भी किसी भी देश में यह नहीं हुआ चाहे वह पाकिस्तान हो, चीन हो, अरब हो, टर्की हो या ईरान हो। कहीं भी आप चले जाइये आप को यह साम्प्रदायिक दंगे होने की बात नहीं सुनने को मिलेगी। इसलिए सब से आवश्यक बात यह है कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आख़िर इन साम्प्रदायिक दंगों की जड़ में किन का हाथ है और वह कहां से शुरू होते हैं। अगर अल्प-मत वाले शुरु करते हैं तो उस का जवाब आप दे देते हैं कि उन के साथ बहुमत वालों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। और उस का परिणाम किस को भुगतना पड़ता है? उन अफसरों को जो शांति स्थापना करना चाहते हैं।

अभी थोड़े दिन हुए हैं इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगा किस कारण से हुआ? रंग खेलनें के कारण। पहले हिन्दू और मुसलमान रंग में सम्मिलित होते थे। फिर अगर तुम को रंग से परहेज है तो तुम वहां क्यों जाते हो? अब अगर रंग पड़ ही गया तो तुम्हें क्षमा करना चाहिये था। लेकिन एक घंटे बाद झगड़ा शुरू हो जाता है और एक बहुसंख्यक आदमी मारा जाता है। इस का मतलब यह नहीं है कि बहुमत ने कोई ज्यादती की या जिन लोगों ने शांति स्थापना

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

करना चाहा उन को वहां से ट्रांस्फर कर दिया जाये। मैं नहीं कहता कि उन को वहां से ट्रांस्फर न किया जाये, मैं नहीं कहता कि उन को सजा न दी जाये, लेकिन इस के माने यह भी नहीं हैं कि बगैर किसी जांच पड़ताल के अफसरों को वहां से हटा दिया जाये। अगर इस तरह से किया गया तो उन का मोराल गिर जायेगा। वह अपने मन में सोचनें लगेंगे कि उन्हें क्या जरूरत है कि वे शांति स्थापना करें? इस लिये गवर्नमेंट को इन मामलों में विशेष रूप से जांच करनी चाहिये।

अभी रक्षा बन्धन के रोज बलिया में एक काण्ड हुआ। क्या हिन्दू लोग अपने त्योहार न मनायें? क्या बात थी कि गोली चलाई गई? जब कभी अंग्रेजों के वक्त में गोली चलती थी तब हम लोग उस की निन्दा करते थे, लेकिन आज आये दिन पुलिस गोली चला रही है। क्या आज कोई और जरिया नहीं है जिस से पुलिस शांति स्थापना कर सके? इस लिये आवश्यक है कि हम पुलिस की इन कार्रवाइयों की भर्त्सना करें। राष्ट्रपति शासन में अक्सर गोली चल रही हैं। सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दो तीन महीनों से कहीं गोली नहीं चली और बड़ी शांति रही। लेकिन बलिया में क्या हुआ? वहां महावीर जी का जलूस निकल रहा था। वहां पर गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से मैं गोरखपुर की एक बात बतला दूं। वहां पर एक डाकू है जिस का नाम राम किशन है। पुलिस अफसरों को वह पकड़ ले गया। जब पुलिस वाले अपनी रक्षा नहीं कर सकते तब देश की रक्षा वह कैसे करेंगे? आप जा कर देखिये। वहां पुलिस पड़ी हुई है, पुलिस का डी एस पी बाहर से आया हुआ पड़ा है। डाकू वहां घूमता रहता है लेकिन आज तक उस को पकड़ा नहीं जा सका है। आप वहां जा कर पता कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज निरीह जनता पर गोली चलाने के लिये यह तैयार हैं लेकिन जो डाकू और बदमाश हैं उन को पकड़ने में असमर्थ हैं। आज वहां की मौजूदा पुलिस के लिये जो हमारे खर्च और पैसे से पल रही है हम से अनुदान मांगा जाय यह बेकार की चीजहै।

आज शांति स्थापना करने के लिये सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि वहां के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये और उन लोगों के साथ प्रेम के साथ बात की जाये। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे। वह चले गये यह अच्छा हुआ, लेकिन उन के गुणों को हमें लेने की जरूरत है वह लोग गांव के पटवारी को, चौकीदार को, जमीदार को, सरपंच को सब को मिला कर शांति स्थापना करते थे। उस समय इतनी पुलिस भी नहीं थीं। लेकिन आज आप पुलिस बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे ऊपर आक्रमण होते चले जा रहे हैं।

इस समय सुरक्षा की स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। इस के सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो बार्डर है वह नेपाल से मिला हुआ है। अगर कोई चीन से गोरखपुर आना चाहे तो गोरखपुर सीधा कनेक्ट हो गया है पोखर से। पोखर हो गया कनेक्ट काठमांडू से और काठमांडू नेपाल से। एक सीधा मार्ग बन गया है। इस लिये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही चौकसी वहां करने की जरूरत है। कोई भी आदमी चाहे वह पाकिस्तान का हो या कहीं का हो एम्बैसी में आ सकता है। बार्डर सील नहीं हुआ है। गोरखपुर बस्ती जहां चाहे वह जा सकते हैं और वहां के लोगों को उठा ले जा

सकते हैं। इस लिये मेरा नम्र निवेदन है कि वहां के लिये सरकार को सतर्क होना चाहिये। अगर उस ने वहां पर ठीक से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की तो देश फिर गुलामी की जंजीर में फंस जायेगा।

एक चीज मैं आप के सामने शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज तक इस देश का शिक्षा का सिस्टम नहीं बदला है। मेकाले के सिस्टम से ही आज देश की शिक्षा चल रही है जिस के कारण बेकारी बढ़ती चली जा रही है। जब तक यह सिस्टम चलता रहेगा बेकारी बढ़ती चली जायेगी और हम गुलामी की जंजीर में फंसते चले जायेंगे। जब तक अपनी आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, उस के अनुसार, देश में चेतना आये, देश में राष्ट्रयीता आये जिस से देश का मोराल बढ़ सके, ऐसी शिक्षा का निर्माण आप नहीं करेंगे और मेकाले का सिस्टम चलायेंगे तो होगा क्या कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर गिरता चला जायेगा। आज तो आप ने शिक्षा के स्थानों में भी ट्रेड यूनियननिज्म घुसेड़ दिया है। जब विद्यार्थी ट्रेड यूनियन वहां नहीं थी तब शिष्य और गुरु में अपना एक सम्बन्ध होता था क्योंकि उन लोगों में भावना थी साथ यह भी कारण था कि रिलिजस ट्रेनिंग हुआ करती थी। शिष्य में एक आध्यात्मिक भावना आती थी कि गुरू पिता के तुल्य है इस लिये शिष्य के दिल में कभी यह भावना नहीं आती थी कि वह पिता के तुल्य गुरु के खिलाफ कोई आवाज उठाये। लेकिन आज तो आये दिन टीचर मारे जाते हैं। अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ लिया गया तो टीचर के छुरा भौंक दिया जाता है। यह इस कारण है कि वहां पर यूनियन हैं और यूनियन को पोलिटिकल पार्टीज अपने हितों के लिये प्रयोग करती हैं। जो विद्या का मंदिर, देवी का मंदिर माना जाता था वह नष्ट हो रहा है। इस लिये शिक्षा मंत्री जी से मेरी विनंती है कि हिन्दुस्तान की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा के रूप में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। इसी तरह से आप देश को बचा सकेंगे अन्यथा नहीं।

दूसरी सब से बड़ी चीज जो मुझ को कहनी है वह यह कि सड़कों का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिये। आप देहातों में चले जाइये। वहां पर देश की रक्षा के लिये किस चीज की आवश्यकता है इस को बेचारा किसान नहीं समझता। इस लिये सुरक्षा की दृष्टि से बार्डर की तरफ जो सड़के हैं उन का सरकार को जल्दी से जल्दी निर्माण कराना चाहिये। वहां के याता यात के लिये और अगर हम को बार्डर एरियाज में फौज जल्दी जल्दी भेजनी पड़े तो उस को जल्दी भेजने के लिये, बार्डर की सुरक्षा के लिये इस की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम को मौका नहीं मिलेगा। हम लोग यहां कल से बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी पार्टी के किसी आदमी को मौका नहीं मिला।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get your time.

श्री महराज सिंह भारती: क्या मंत्री महोदय के बोलने के बाद मौका मिलेगा?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When we started further discussion of the Supplementary Demands it was announced that because immediately after the continuation of the Proclamation was also coming up, either they should be taken together or time should be provided. We will finish this in one hour and again three hours will be left.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Can we talk about the Budget there?

श्री महाराज सिंह भारती : आप को पहले से सोचना चाहिये था। पहले तो आप सदस्यों को पन्द्रह पन्द्रह मिनट देते चले गये। क्या आप हम को पांच मिनट भी नहीं देंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will get his time. I have not called anyone from this side also.

श्री मौलहू प्रसाद (बांसगांव) : हमारी पार्टी को आप को टाइम देना ही पड़ेगा। (**व्यवधान**)

श्री महाराज सिंह भारती : इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। क्या आप हम को पांच मिनट भी नहीं देंगे ? या तो आप हम से शुरू ही में कह देते कि हमारे दल से किसी को समय नहीं देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You were not here, perhaps; I do not know.

श्री महाराज सिंह भारती : मैं कल से लगातार यहां बैठा रहा हूं, आज भी लगातार बैठा रहा हूं। चिट्ठी भी आप के पास भेजी है। इस का क्या मतलब है कि हम को टाइम नहीं दिया जायेगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Professor Ranga raised this issue.

श्री महाराज सिंह भारती : आप चाहे जिस जिस से सलाह लीजिये। भले ही आप एक एक दो दो मिनट बुलवाइये, लेकिन सब को समय मिलना चाहिये। यह गलत बात है उत्तर प्रदेश आठ करोड़ की आबादी का प्रदेश है.... (**व्यवधान**)।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will resume your seat.

श्री मौलहू प्रसाद : अगर हमें समय नहीं मिलेगा तो यह सभा नहीं चलेगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not called anyone from this side also. Shri Bharati will get his time. I am not curtailing the time. Shri Bharati's name is there.

श्री महाराज सिंह भारती : इस के बाद मैं नहीं बोलूंगा। आप टाइम देंगे तब भी नहीं बोलूंगा। आप मुझे अभी बोलने दीजिये। मैं इस तरह से बोलने वाला नहीं हूं कि किसी भी विषय पर बोल लूं। जिस पर मैं तैयारी करता हूं उसी पर बोलता हूं। मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोलता हूं।

SHRI RANDHIR SINGH: Let Shri Maharaj Singh Bharati speak.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): You remember, Sir, the time for these Supplementary Demands was only one hour. In that case all parties will not get even 10 minutes or 5 minutes each. The Speaker in his wisdom, therefore, decided about 2 hours for this..... (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, you are making a mistake. We have increased it to 2 hours and 2 hours are over now—just 10 minutes remain. (*Interruptions*).

SHRI S. KANDAPPAN: Sir, I was here yesterday and I know what was happening yesterday. Mr. Maharaj Singh Bharati belongs to the S.S.P. group and he is very keen to speak on the Supplementary Demands of U.P. He was waiting here till 7 O'Clock yesterday, till the House adjourned. Today, I find—I do not mean to cast any reflection on anybody—from the proceedings that two spokesmen from the Jan Sangh Party have spoken on the Supplementary Demands of U.P. alone. Now, here is a group which has got a stake in U.P. They are interested in the mid-term U.P. elections. My Party did not claim any time and I do not want to speak at all. I do not know anything about U.P. affairs. As far as we are concerned, we do not want to take any time and we do need

it. But here is a group which is going to face the elections in U.P. They have got a stake in the U.P. elections. They have to make some points. It is their genuine demand. At least those groups who have separate identities and who are interested in U.P. should be given a little time. There is, for example, the motion for the continuation of the Proclamation in U.P. On that, he cannot speak about the budget and he cannot demand a reply from the Finance Minister. It is only fair that you extend the time a little for the S.S.P. and other separate groups who are interested in U.P. affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We had increased the time to 2 hours for Supplementary Demands and 2 hours are almost over. We have 3 hours for the continuation of the U.P. Proclamation. What I would suggest is that if some Members would like to participate on the Supplementary Demands only just now, I will make an adjustment of half an hour. This morning, when the issue was raised by Prof. Ranga, it was ruled that we may combine both the things and the reply can come later on. But that was not accepted by the House. I will call Mr. Maharaj Singh Bharati. If everybody insists on speaking on the budget, it will not be possible. I am only making an adjustment and I will curtail the time on the other thing. I wanted to adjust it with the concurrence of the House.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : जनतंत्र में नीति निर्धारित करने का काम राजनीतिज्ञों का होता है और उस नीति को व्यावहारिक रूप देने का काम जो है वह कार्यपालिका का होता है। जिस जनतंत्र में नीति निर्धारित करते हैं अफसर और उस पर अमल करने का काम अपने ऊपर ले लेते हैं। राजनीतिक और वे हर छोटे बड़े काम में अपनी टांग अड़ाया करते हैं वह जनतंत्र सड़ जाता है। जिस देश में बड़े बड़े अफसर ही नहीं छोटे अफसर भी अपनी मर्जी से नीति निर्धारित करने लग जाते हैं वहां तो जनतंत्र बहुत ही बुरी तरह से सड़ जाता है। यही हालत आज उत्तर प्रदेश की हो रही है। संविधान में आपने जो कुछ भी व्यवस्था कर रखी है, उसका हनन करके और उसकी आत्मा का हनन करके कई पुलिस के अधिकारी अपनी मर्जी से अपने इलाकों में खुद अपनी नीति निर्धारित करते फिरते हैं। इसके मातहत वे आगरे में लूट मचाते हैं और मथुरा के अन्दर जब लोग आते हैं कहने के लिए कि हमारे गांव डूब गए हैं, उन में से पानी निकालो तो उन पर लाठी प्रहार करके उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है। कहीं पर तो महिलाओं को नंगा करके उनका जलूस निकाला जाता है। यह सवाल उनके अन्याय का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की बना दी गई है। वे जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें नीति बना सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। अगर इसको बदला नहीं जाएगा तो जनतंत्र सड़ जाएगा, कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए सड़ जाएगा।

बिजली के सम्बन्ध में हमने अखिल भारतीय स्तर पर तय किया था कि बारह नए पैसे फी यूनिट से ज्यादा किसी भी किसान को हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में बिजली नहीं दी जाएगी और बिजली की अगर लागत ज्यादा आएगी तो उसको सूबे की तरफ से और केन्द्र की तरफ से सबसिडाइज किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि 1-7-68 से राष्ट्रपति शासन काल में उत्तर प्रदेश में क्या कानून बनाया गया है? इस में 96 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से टैक्स लगाया गया है और आठ नए पैसे प्रति यूनिट बिजली का मूल्य निश्चित किया गया है। इतनी महंगी बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान तो कभी लेने की

[श्री महाराज सिंह भारती]

सोच ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और जिस में सर्वोत्तम जिला मेरठ का है वह भी यह हिम्मत नहीं कर सकेगा, वहां का किसान भी यह हिम्मत नहीं कर सकेगा कि इतनी महंगी बिजली वह ले सके। उसको फी हार्स पावर के लिए 620 यूनिट के लिए 96 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे और आठ नए पैसे दाम होंगे बिजली के और इस तरह से कास्टप्राइस आ कर बैठेगी 23 नए पैसे। इसके विपरीत अखिल भारतीय नीति जो हमने तय की थी वह बारह नए पैसे की थी। उत्तर प्रदेश में इस नीति को तोड़ देने का हक किसी को नहीं है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपके सरकारी ट्यूबवैल चल रहे हैं उनको जिस आधार पर आप बिजली दे रहे हैं, जिस मूल्य पर सरकार उनको बिजली दे रही है क्या उसी आधार पर वह किसानों को भी देने के लिए तैयार है जिन्होंने प्राइवेट ट्यूब वैल लगा रखे हैं? सरकारी ट्यूबवैल्ज़ का जो मिनिमम कमांड होता है वह तीन सौ एकड़ होता है और पांच सौ और एक हजार तक वह कमांड जाता है जबकि प्राइवेट किसानों के ट्यूबवैल्ज़ का कमांड पांच दस या पंद्रह बीस एकड़ का होता है। इस वास्ते मैं जानना चाहता हूं कि जिस आधार पर और जिस कीमत पर सरकार सरकारी ट्यूबवैल्ज़ के लिए बिजली देती है क्या उसी आधार पर वह प्राइवेट ट्यूबवैल्ज़ को बिजली देने के लिए तैयार हैं हालांकि वे छोटे हैं बेचारे?

उत्तर प्रदेश का राज भाषा अधिनियम 26-1-68 को लागू हो गया था और राष्ट्रपति ने इसको 6-4-68 को अपनी स्वीकृति दी थी। तीन हजार वहां पर हिन्दी के टाइपराइटर भी खरीद लिये गये। लेकिन वहां के मुख्य सचिव ने इन सारे कानूनों और नीति को तोड़ कर अपनी मर्जी से काम अंग्रेज़ी में चालू कर दिया है। अगर वह किसी बड़े अफसर से अंग्रेजी में बात करते होते तो मुझे दुख नहीं था। लेकिन जानबूझ कर इस अधिनियम की हत्या करने के लिए और प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने के लिए साइकलों के लाइसेंस रिन्यू करने वाला जो चपड़ासियों का सर्क्युलर था उसको उन्होंने अंग्रेजी में भेजा जानबूझ कर यह बताने के लिए कि तुम्हारी छाती पर हम अंग्रेजी लाद कर रहेंगे और हिन्दी को नहीं चलने देंगे।

असल में यह जो मुख्य सचिव हैं यह उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं है। वहां यह पहले भी इरिगेशन और सिंचाई के सचिव रह चुके हैं। मैं उन दिनों 1958 से 1964 तक वहां एम० एल० सी० था। मैंने इनके सारे कारनामों को देखा है। जब रिहांड डैम बन रहा था तब इन्होंने कैलकुलेट किया था कि डेढ़ नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली तैयार होगी, कोई 1.97 नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से तैयार होगी यानी दो पैसे भी। यह हिसाब लगा कर इन्होंने बिड़ला से पैक्ट किया और पच्चीस साल की एक लम्बी अवधि के लिए किया और केन्द्रीय मंत्री से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि 45 लाख रुपया सालाना इस कम दर पर बिजली देने की वजह से उत्तर प्रदेश को घाटा उठाना पड़ेगा और आज वह घाटा कम से कम साठ सत्तर लाख रुपये सालाना का हो गया है। यही सैक्रेटरी उस वक्त वहां बने हुए थे जिन्होंने बिड़ला की गोद में बैठ कर यह सब काम किया था। कोई मामूली काम नहीं किया इन लोगों ने।

माताटीला के उन दिनों यही सैक्रेटरी थे जब बांध बनाया गया। पहले उसका जो बजट बना वह सवा दो करोड़ का

बना। जब उसका ब्लयू प्रिंट बना तो वह बना चार करोड़ का और माताटीला बना ग्यारह करोड़ का। इन से कहा गया कि जांच करो, इस में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हैं। जांच करके इन्होंनें कहा "आल क्लीयर"। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई श्री प्रयाग नारायण के नेतृत्व में। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि लाखों का गबन हुआ है। वह क्लीयर रिफलैक्शन था इनके ऊपर। ये नाराज हुए। प्रयाग नारायण जी तो चले गए। लेकिन दूसरे एग्जेक्टिव इंजीनियर जो उस कमेटी के अन्दर नत्थी थे उनको जब इन्होंने सुपरिटैंडिंग इंजीनियर नहीं बनाया तो वहां मंत्री को हस्तेक्षप करना पड़ा। जब उनके हस्तक्षेप से उनको सुपरिटैंडिंग इंजीनियर बनाया गया तो इन्होंने उनको चार्ज नहीं लेनें दिया। मंत्री के हस्तक्षेप से उन्होंनें चार्ज लिया। आज वही सुपरिटैंडिंग इंजीनियर इसलिए निलम्बित हैं क्योंकि सिंचाई विभाग तो कहता है कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है पर मुख्य सचिव कहते हैं कि पुरानी रंजिश है इस आदमी के खिलाफ, इसलिए मैं इसको निरंतर निलम्बित रखूंगा। यह बेचारा पिछड़ी जाति का एक ईमानदार इंजीनियर है। मुख्य सचिव कहता है कि इसको मैं जिन्दा नहीं रहने दूंगा। हालांकि सिंचाई विभाग कहता है कि कोई चार्ज नहीं बनता है लेकिन उसको मुख्य सचिव जबर्दस्ती निलम्बित किए हुए हैं, उसको रगड़ते चले जा रहे हैं। यह है मनोवृत्ति जो वहां काम कर रही है।

अधिकतम जोत की सीमा के द्वारा जितनी जमीन आज तक मिली थी, मुश्किल से उसकी आधी ही आज तक हरिजनों में बंट पाई है, इसको भी आप देखें।

संविद की सरकार के न रहने पर वहां के मुख्य सचिव ने क्या बयान निकाला है, इसको आप देखें। मैं चाहता हूं कि हर राजनीतिज्ञ इसको खान खोल कर सुन ले। इस में सवाल कांग्रेस का या किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप जनतंत्र को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? क्या आप अफसरशाही कायम करना चाहते हैं? आप क्यों इस बात को नहीं मानते हैं कि नीति निर्धारित करनें का काम राजनीतिज्ञों का है और उस पर अमल करने का काम अफसरों का है। मेरठ के अन्दर इन्होंने एक नोटिस लगा दिया कि कोई भी किसान जो पूरा रुपया दे कर बिजली लेना भी चाहेगा उसको बिजली नहीं दी जाएगी। कौन होते थे ये अफसर इस तरह का नोटिस लगानें वाले। जब राजनीतिज्ञों ने कहा कि पूरा पैसा देने पर बिजली दी जाएगी तो अफसर लोग कौन होते हैं उस में संशोधन करने वाले और जब इसके बारे में बहस की गई तो जवाब दिया गया कि हम दे नहीं सकते थे, इसलिए यह नोटिस लगा दिया। मालूम ऐसा पड़ता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में न तो कोई सरकार है, न कानून बनते हैं और न ही कोई नीति निर्धारित होती है और अफसर लोग अपनें दिमाग के हिसाब से पालिसी बनो सकते हैं, नीति बना सकते हैं और अपने हिसाब से सरकार को चला सकते हैं। ऐसी हौच पौच सरकार सड़ जाएगी तो कांग्रेस ही मरेगी ऐसी बात नहीं है, देश मरेगा तो हम भी मरेंगे। इस वास्ते सब का भला इस में है कि अफसरों को बताया जाए कि तुम्हारा काम सिर्फ नीति पर अमल करना है, नीति निर्धारित करने का काम तुम्हारा नहीं है, वह हमारा है।

[श्री महाराज सिंह भारती]

मुख्य सचिव की हिम्मत यहां तक हुई कि उन्होंने बयान दे दिया और कह दिया कि संविद की सरकार टूट जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा सुखी हैं और आज के तंत्र को वे ज्यादा पसन्द करते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे राजी मत हो जाना कांग्रेस वालो। इसका मतलब यह नहीं है कि संविद की सरकार गलत थी। अफ़सर लोग आपस में बैठ कर कहा करते हैं कि इस का मतलब एक ही है कि ये राजनीतिज्ञ कुछ नहीं जानते हैं, इन की खोपड़ी में अक्ल नहीं है, हम लोग यहां पर राज करेंगे—इन से अच्छा राज करेंगे। यह मनोवृत्ति आज अफ़सरों के दिमाग़ में काम कर रही है। अगर यह मनोवृत्ति बनी रही, तो इस देश में जनतंत्र कभी नहीं चल सकेगा।

उत्तर प्रदेश ने नरोरा, जिला अलीगढ़, में आणविक बिजलीघर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा केस बना कर भेजा था। लेकिन क्या यह सरकार आणविक बिजलीघर बना सकेगी? उस का कहना है कि उस के पास स्वदेशी मुद्रा नहीं है। पहले विदेशी मुद्रा की कमी का बहाना कर के बात को टाला जाता था और अब स्वदेशी मुद्रा के कमी का बहाना पेश किया जाता है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि चूंकि सूबों में आपस में झगड़े होते हैं, इस लिए हम बड़े बांध नहीं बना पा रहे हैं। पांच सूबों का मिला-जुला एक कुशाऊ बांध है। हिमाचल प्रदेश का पानी आयेगा। उत्तर प्रदेश में टौस नदी पर बांध बनेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को पानी मिलेगा। बिजली हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दी जायेगी। ये सब बातें मुद्दत पहले तय हो गई थीं और बांध बनना शुरु हो गया था। लेकिन अब तय किया गया है कि धेला भी नहीं देंगे, इस बांध को पूरा नहीं करेंगे, आज तो इस बांध को बनायेंगे नहीं, इस बजट में भी इस के लिए कोड़ी नहीं देंगे और चौथी पंच-वर्षीय योजना में भी नहीं बनने देंगे। इस स्थिति में हम इस सरकार को क्यों 32 करोड़ रुपये ख़र्च करने के लिए दें?

गंगा घाटी में इतनी नदियां पहाड़ में मिलती हैं। यहां से ले कर बंगाल तक करोड़ों लोग बाढ़ के शिकार होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश बाढ़ से मर जाते हैं। इस पानी को बांधने के लिए अब तक क्या किया गया है? लेकिन यह सरकार बांध क्या बनवा सकती है, आज तक सर्वेक्षण भी नहीं कराया गया है। अगर मंत्री महोदय से यह पूछा जाये कि कौन कौन से बांध बनाए जा सकते हैं, सिंचाई के लिए कितना पानी मिलेगा, जो हम राजस्थान को भेज सकते हैं और कितनी बिजली मिलेगी, आदि, तो जवाब मिलेगा कि अभी हम ने सर्वेक्षण नहीं कराया है, उत्तर प्रदेश सरकार शायद इस बारे में कुछ कर रही है।

फ़ासफ़ेट मैन्युर हम लगातार विदेशों से मंगा रहे हैं, उस में फ़ारेन एक्सचेंज खो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देहरादून से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैकड़ों किलोमीटर लम्बा राक फ़ासफ़ेट का पहाड़ खड़ा हुआ है। लेकिन उस पहाड़ को एक्सप्लायट करने वाला कोई नहीं है। शुरू में अफ़सरों ने कह दिया कि इस में फ़ासफ़ोरस का कानटेन्ट बहुत कम है, इस लिए वह कानसेन्ट्रेटिड नहीं हो पायेगा। बाद में पता चला कि टेकना-लोजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि कानसेन्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन फ़र्टलाइजर कार्पोरेशन ने कहा कि हम इस को एकसप्लायट नहीं करना चाहते हैं। इस का नतीजा यह है कि आज तक उस पहाड़ को पता नहीं चल रहा है कि मेरा मालिक कौन है, कौन मुझे एक्सप्लायट

कर रहा है। वहां पर उर्वरक के कितने ही कारख़ाने खड़े हो सकते हैं और विदेशों से राक फ़ासफ़ेट मंगाना बन्द किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी दल की रहे, वह जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। हम आप को पसन्द करें या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन, जनता यदि आप को पसन्द करती है, तो हम आप की सरकार को उतनी ही मान्यता देंगे, जितनी जनतंत्र में देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात को साफ़ कर देना चाहता हूं कि अगर आज आप खुश होंगे कि अमुक कलेक्टर हम को चुनाव जितवा देगा, वह हमारी जान-पहचान का आदमी है, वह कल हमारे काम आने वाला अफ़सर है और इस प्रकार यदि आप उत्तर प्रदेश की अफ़सर-शाही की मौजूदा मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देंगे, उस के द्वारा नीति-निर्धारण करने की यदि आप हौसला-अफ़जाई करेंगे, तो इस का नतीजा यह होगा कि वह अफ़सर तो मरेगा नहीं, उस के तन्ख्वाह और भत्ते में कोई कमी नहीं आयेगी, वह बदस्तूर बना रहेगा, लेकिन आख़िरी ख़मियाज़ा उस सूबे के साथ आप को ही भुगतना पड़ेगा।

इस लिए मैं मांग करता हूं कि इस मुख्य सचिव को तुरन्त वापिस बुला लिया जाये। यह बीमारी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आ गई थी और आप उस को रख रहे थे। जब आठ दिन के लिए कांग्रेस सरकार बनी, तो गुप्ता जी इस बीमारी को दिल्ली से उठा कर लखनऊ ले गये। जब मुख्य सचिव को पता चला कि चरण सिंह आने वाले हैं, तो उस ने चरण सिंह को सलामी दी और उन्होंने उस को बर्दाश्त किया। उस बीमारी को उत्तर प्रदेश से हटा कर दिल्ली में ले आइये। आप उस को सम्भाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सत्यानाश न कीजिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: The Hon. Minister.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): What about our Party?

MR. DEPUTY SPEAKER: He will get time on the next item of discussion.

SHRI SRINIBAS MISRA: Why not now on the budget of U.P.?

MR. DEPUTY SPEAKER: I have adjusted it. Whatever he wants to say can be said when the next item is before the House.

SHRI SRINIBAS MISRA: Why not on the Budget when the scope of the discussion is specific?

MR. DEPUTY SPEAKER: Then on the next item, he will not get time.

SHRI SRINIBAS MISRA: May not.

MR. DEPUTY SPEAKER: I can give only 5 minutes now. I am not calling any member from the Congress Benches, so as to save time on this.

SHRI SRINIBAS MISRA: If we shall not get time afterwards, then why five minutes only now?

MR. DEPUTY SPEAKER: Now you want to speak on the budget. Only two hours were allotted. Actually you get only 4 minutes. It was decided this morning also.

श्री मोहन स्वरुप (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण क्या है। उसका सब से पहला कारण यह है कि जिन लोगों के हाथ में पिछले बीस वर्षों से शासन रहा, उन को अपने झगड़ों से ही फुरसत नहीं मिली कि वे उत्तर प्रदेश

[श्री मोहन स्वरूप]

की उन्नति की तरफ़ ध्यान दे सकें। दूसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ़ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वह कभी भी नहीं मिली। पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं में भारत सरकार की तरफ़ से विभिन्न प्रदेशों को 5,678 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जिस में से उत्तर प्रदेश को अब तक सिर्फ़ 761.6 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस से ज़ाहिर है कि हालांकि उत्तर प्रदेश की आबादी तो देश की आबादी का 17 प्रतिशत है, लेकिन उस को सिर्फ़ 13.4 प्रतिशत ही सहायता मिल सकी है। इस से भी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन में वृद्धि हुई है।

यह उल्लेखनीय बात है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से जो परियोजनायें चलाई जाती हैं, उन से सम्बद्ध क्षेत्र के विकास में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन पिछली दो पंच-वर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की ओर उत्तर प्रदेश में कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई गई। पंच-वर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की ओर से जो परियोजनायें चलाई गई, उन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बहुत थोड़ा है।

उत्तर प्रदेश ज़मीन से घिरा हुआ है। पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में बन्दरगाहों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को 192.42 करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के पास कोई बन्दरगाह नहीं है, इस लिए उस को उस रकम का कोई हिस्सा नहीं मिल सका। इसी तरह विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से 372.84 करोड़ रुपये ख़र्च किये गये, लेकिन उस में भी उत्तर प्रदेश को कोई हिस्सा नहीं मिल सका।

अभी तक केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह परम्परा रही है कि जो राज्य सस्ती भूमि दे सकें और बिजली कम मूल्य में दें, उन के यहां ये परियोजनायें कार्यान्वित की जायें। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा हुआ राज्य ऐसा करने में असमर्थ है। इस लिए इस परम्परा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय परियोजनाओं और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि किसी प्रदेश की कितनी आबादी है और उस की आवश्यकतायें क्या हैं। मैं समझता हूं कि अब जब हम चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को तैयार कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का सब से बड़ा सूबा है और उस का पिछड़ापन भी सब से अधिक है। इस सम्बन्ध में यह उसूल बनाना चाहिए कि केन्द्रीय सहायता और अनुदान 20 प्रतिशत पिछड़ेपन के हिसाब से और 80 प्रतिशत आबादी के हिसाब से दिये जायें। इस उसूल के मुताबिक चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को उतनी सहायता और अनुदान मिलना चाहिए, जो कि उस का हक है। अब तक उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार उपेक्षा और अवहेलना होती रही है, अब उस का अन्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग है। अगर वह विकसित नहीं होता है, तो देश के विकास की बात करना बिल्कुल बेकार है।

उद्योगों के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस लिए उस के गांवों का औद्योगीकरण किया जाना चाहिए। खेती हमारे प्रदेश का एक मुख्य धंधा है, लेकिन उस में भी वह पिछड़ा हुआ है। खेती के लिए सिंचाई, खाद और बिजली आदि का बहुत महत्व है, लेकिन उन में भी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारे मित्रों ने कहा है

कि राष्ट्रपति के शासन में बिजली पर सरचार्ज लगा कर उस को महंगा कर दिया गया है। मेरी मांग है कि बिजली के सिलसिले में जो सुविधायें पहले मिलती रही हैं, वे मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो दिक्कतें पेश आती हैं, उन को दूर किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती को विकसित करने के लिए किसान को उस की रेम्युनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए। आज दिक्कत यह है कि 81 रुपये पर क्विंटल सरकार ने गेहूं का भाव निश्चित किया है लेकिन बाजार में 65 रुपये, 70 रुपये पर क्विंटल गेहूं बिक रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी अभी जो प्रोक्योरमेंट हुआ तो जो मिडिल मेन थे, जो आढ़तिये थे उन्होंने 20–30 रुपये पर क्विंटल मुनाफा कमा लिया। न तो यह काश्तकार की जेब में गया न उपभोक्ता की जेब में गया। तो मैं समझता हूं कि यह जो नीति सरकार की है यह खत्म होनी चाहिए और किसान को एक लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। तब जा कर का शतकारी का काम आगे बढ़ सकता है।

हमारे प्रदेश में ट्रैक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। ऐग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में जो है उस ने बताया है कि 14700 ट्रैक्टर्स की तुरंत आवश्यकता है और लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। ट्रैक्टर्स मिल नहीं रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में खोला जाय। उत्तर प्रदेश की तरफ से यह मांग की गई है कि ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना खोलने की उन को इजाजत दी जाय। अभी हम जगजीवन राम जी से भी मिले थे...

श्री रणधीर सिंह: छोटे ट्रैक्टर्स बनने चाहिए।

श्री मोहन स्वरूप: छोटे और मझले दोनों। 14 और 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर चाहिए।

एक चीज किसान के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं कि किसान को जब कर्जा लेना होता है तो कर्जे की सुविधा भी सरकार के द्वारा अच्छे ढंग से और व्यवस्थित ढंग से उस को मिलनी चाहिए। आप जानते हैं जब कर्जा लेने किसान जाता है तो उस की हैसियत तस्दीक होती है। उस में लेखपाल से ले कर सारे लोग चूंकि भ्रष्ट हैं इसलिए वह उस से रुपया चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि उस को तरह तरह की परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक पुस्तिका किसान को दी जाय जिस में उस की जमीन का उल्लेख हो, लगान कितना है, कितनी उस की हैसियत है, कितना कर्जा मिल सकता है, इस सब का उल्लेख हो, इस तरह की एक पुस्तिका तहसील की तरह से किसानों को मिलनी चाहिए और हर साल उस का नवीकरण कर देना चाहिए। यह परम आवश्यक बात है जिस की तरफ मैंने कई बार ध्यान दिलाया है लेकिन उस को पूरा नहीं किया गया है।

एक बात मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिला परिषद के पुराने अधिकारी जो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने से काम कर रहे थे, एक तो वह हैं और अब उस के बाद प्लानिंग के आदमी हैं जो गवर्नमेंट के पुराने कर्मचारी हैं, वह भी जिला परिषद् में आ गए हैं, उन को वेतन बहुत ज्यादा मिलता है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पुराने कर्मचारी हैं उन को वेतन कम मिलता है। जब एक ही जगह वह काम करते हैं तो उन के वेतन में यह असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी बरेली में इस सिलसिले में झगड़ा हुआ था और वहां के अफसरों को उन्होंने घेराव

[श्री मोहन स्वरूप]

किया था। तो मैं चाहता हूं कि यह जो इन के दरमियान में फर्क है जिला बोर्ड के पुराने कर्मचारियों के और प्लानिंग के कर्मचारियों के वेतन में उस को दूर किया जाय क्योंकि एक ही जगह और एक ही विभाग में वह काम करते हैं।

इस के साथ साथ पीलीभीत जो हमारी कांस्टीट्यूएंसी है उस से स्मग्लिंग बहुत होता है चीन के लिए, नेपाल के लिए। मैं चाहता हूं कि उस स्मग्लिंग को रोकने के लिए सक्रिय कदम सरकार उठाए। एक बात और कहना चाहता हूं। एक लेटरल रोड बनाने की बात सरकार की तरफ से हुई है जो उत्तर प्रदेश के अन्दर 400 मील की लम्बाई में है और जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी से हो कर जाता है। उस के लिए 36 करोड़ रुपया खर्च करने को मुकर्रर किया गया है और 1968 तक उसे पूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन 15.42 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ और बाकी के लिए कह दिया केन्द्रीय सरकार ने कि अभी नहीं मिल सकेगा। जब भारत पर हमला होता है, चीन का या और किसी का तो तब तो उस की आवश्यकता महसूस होती है लेकिन जब खतरा चला जाता है तो हम सो जाते हैं। यह मनोवृत्ति खत्म होनी चाहिए और यह रोड़ जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए।

शारदा सागर और नानक सागर का मामला मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है। नानक सागर में जो पिछले साल दरार पड़ी उस से जो हानि हुई वह सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि उस की मरम्मत के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए गए और आज भी मुझे बताया गया कि अभी बरसात में कुछ जगहों पर दरारें पड़ी हैं, उस की वजह से सागर में जितना पानी था वह छोड़ देना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि यह जो बार बार खतरे होते हैं, बार बार जो डैम टूटते हैं उस को रोका जाय, उस का ऐसा इन्तजाम किया जाय कि ऐसे खतरे न आयें। उसी सिलसिले में एक एन्क्वायरी कमेटी भी बैठायी गई थी। पता नहीं उस की क्या फाइंडिंग हुई, क्या नतीजा निकला। शायद वह खत्म हो भी हो गई है। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि उस ने क्या कहा।

एक बात और कह कर खत्म करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजेज हैं। पीलीभीत में भी है जो कि एक बहुत पुरानी संस्था है। हरिद्वार में है, एक झांसी में है, एक बरेली में बनी है। आयुर्वेदिक कालेजों की स्थिति आज बिगड़ती जा रही है। उन लोगों की मांग है कि उन को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय और उन में सुधार किया जाय।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ठीक करने में योगदान दे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त): उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस पूरक मांगों पर थी। लेकिन धीरे धीरे आप की उदारता के कारण यह बजट पर एक जोरदार सामान्य बहस का रूप धारण कर गयी और यहां जो सामान्य बजट में सारी बातें हुआ करती हैं वह इस बहस में हुई हैं। समय मेरे पास कम है। मैं चाहते हुए भी सारे मुद्दों का जबाव तो दे नहीं सकता और बहुत सी बातें ऐसी भी कही गई जिन का स्थानीय महत्व है और जिन पर कि प्रान्तीय सरकार के जो अफसर यहां आए हुए हैं वह उन के बारे में जानकारी प्राप्त कर के कदम उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि प्रान्तीय सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी और मुझे माननीय सदस्य इजाजत देंगे कि मैं उन चीजों के

बारे में जिक्र करूं जो कि सामान्य हित की हैं। उत्तर प्रदेश के करीब सारे सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया प्रान्त के पिछड़ेपन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस भावना को, इस चिन्ता को मैं समझता हूं और मैं इस का आदर भी करता हूं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का सब से बडा प्रदेश है जिस की इतनी बड़ी आबादी है और जो कि भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस देश में, उसका विकास होना आवश्यक है वरना वह सारे देश के विकास में एक बाधक सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह तो सब के ही लिए हितकर होगा अगर उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो और इस ओर हमें प्रयत्नशील होना है।

15 HRS

कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश एक कृषि-प्रधान प्रदेश है और यहां अगर सामान्य जनता के जीवनस्तर को तेजी से उठाना है तो कृषि में सुधार ला कर तेजी से उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्षों में काफ़ी तरक्की कृषि के क्षेत्र के प्रदेश में हुई। आधुनिक तरीके अपनाए गए। सिंचाई का विस्तार हुआ। खाद की खपत बढ़ी। लेकिन इस बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह जरूर है कि कृषि के लिए जिस उत्तर प्रदेश की भूमि एक आदर्श है क्योंकि आप कहीं भी नकशा देखें दुनिया में इतनी समतल जमीन और उस में थोड़ा सा आप खोद ले तो नीचे पानी, कर्मठ किसान, यह सब चीजें एक जहां मिली हुई हैं वहां अगर इन प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जाय तो कोई बजह नहीं कि उत्तर प्रदेश की कृषि में तेजी से अधिक सुधार न लाया जा सके और उस से सारे देश की खाद्यान्न की समस्या और कृषि के और पदार्थों की समस्या हल न हो सके। इसलिए इस ओर हमें विशेष ध्यान देना है और ध्यान देना है सिंचाई की ओर जिस ओर कई माननीय सदस्यों ने इस सदन का ध्यान खींचा है।

इस के साथ साथ जो कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे हैं, उन को हमें बढ़ाना है, अन्य छोटे-मोटे उद्योग धन्धों को भी बढ़ाना है। यह बात नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है—छोटे उद्योग धन्धे आज उत्तर प्रदेश में 17 हजार हैं, लेकिन अभी वे कुछ ही जगहों में सीमित हैं, गाजियाबाद में पनप गये हैं, कुछ इलाहाबाद में हैं, कुछ अन्य स्थानों पर भी हैं, लेकिन आज बिखर कर सारे प्रदेश में फलने की बात है, जिससे कि सारे प्रदेश के जन-जीवन पर उन का असर पड़े —यह होना अभी बाकी है और उस ओर आपको और हम को—सब को मिल कर प्रयत्न करना है। मैं इसी लिये आपसे सहयोग की चर्चा करता हूं—बिना विरोधी दलों के और हमारे अपने दल के सहयोग के यह काम आगे बढ़ नहीं सकता। प्रदेश पीछे पिछड़ गया है, चौथी पंच वर्षीय योजना आ रही है, इस में इतनी तेजी से बढ़ना है कि वह पिछड़ापन दूर हो सके। इस के लिए साधन जुटाने होंगे और प्रजातन्त्र में साधन जब भी जुटाये जायेंगे—लोन्ज़ के ज़रिये जुटाये जायेंगे या टैक्स के ज़रियें जुटाये जायेंगे। जब कभी कोई टैक्स लगे, उस में हमेशा विरोधी भावना रहे तो फिर साधन कहां से आयेंगे—साधनों के बगैर कोई भी प्रदेश तेजी से तरक्की नहीं कर सकता।

15·02 HRS

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

केन्द्रीय सहायता की चर्चा की गई है। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सहायता में

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

उन सारी चीजों का ध्यान देना होगा, जिनकी यहां पर चर्चा की गई है। लेकिन केन्द्र से आप कितनी ही सहायता बढ़ा लें, प्रान्त का भी योगदान आवश्यक होता है। जब प्रान्त भी योगदान दे, केन्द्र से भी सहायता बढ़े, प्रान्त के सारे लोग इस काम में जुट जायं, राजनीति को परे रख कर विकास के कार्य में लग जायं, तब ही प्रान्त में तेजी से तरक्की हो सकती है।

श्री मोलहू प्रसाद: विदेशी सहायता कम होने लगी है, इसी लिये स्वावलम्बन की बात करने लगे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत: यदि आप मेरी बात को गम्भीरता से सुनेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। यह ऐसी बात है जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई दलगत बात नहीं है। यह सारे प्रदेश के फ़ायदे की बात है—इस में हमारा और आपका दृष्टिकोण एक ही होना चाहिये।

मैं केन्द्रीय सहायता के बिषय में कह रहा था। पहली पंच-वर्षीय योजना में केन्द्र ने 87 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया, दूसरी पंच-वर्षीय योजना में 121 करोड़ रुपया दिया और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 355 करोड़ रुपया दिया। 1966 से 1969 तक उत्तर प्रदेश को 258 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में मिला। अब यदि प्रान्त की योजना के अनुपात से देखा जाय तो हर योजना में केन्द्रीय सहायता बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि पहली दो योजनाओं में कोई क्राइटेरिया नहीं था जिसके आधार पर सहायता बांटी जाती थी, कोई मापदण्ड नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मापदण्ड बनने लगा और आज कल भी बहस चल रही है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में किन सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सहायता का वितरण किया जाय। इस मामले में यह स्पष्ट है कि वे प्रान्त जिनमें आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, वे आबादी के अनुपात से ज्यादा सहायता के वितरण का विरोध करते हैं, लेकिन जिन की आबादी ज्यादा है, वे आबादी के आधार पर बांटे जाने के लिये जोर देते हैं। इस लिये आज भी यह बहस चल रही है और मैं यही कह सकता हूं कि पहले के मुकाबले अब आबादी का वजन केन्द्रीय सहायता के वितरण के सिद्धान्त में बढ़ गया है। इस वक्त जो सिद्धान्त हैं उन में 70 प्रतिशत आबादी के आधार पर केन्द्रीय सहायता का वितरण होता है और धीरे-धीरे आबादी का जो महत्व है इस मामले में, उस को पहचाना जाता है। लेकिन इस के बावजूद भी मैं यह नहीं कह सकता कि अन्तिम निर्णय चौथी पंच-वर्षीय योजना के सिद्धान्तों के बारे में क्या होगा।

एक बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं—आबादी के अलावा एक दूसरा सिद्धान्त यह है कि किस प्रदेश में कितने पिछड़े हुए इलाके हैं और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा—उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जोकि हिन्दुस्तान में पिछड़े हुए जिलों में माने जाते हैं। उन को भी अगर सामने रखा गया तो इस अनुपात में भी कुछ सहायता उत्तर प्रदेश को अधिक मिल सकती है। इस लिये मुझे आशा है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के बढ़ाने से, प्रान्त के अपने परिश्रम से, विकास के कार्यों में सब दलों के सहयोग से और प्रान्त के लोगों की मेहनत से जो हम पिछड़ गये हैं, उस पिछड़ेपन को दूर कर के अन्य बढ़े हुए प्रान्तों से बराबरी करने के काम में आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, कुछ अन्य बातों पर भी इस बहस में जोर दिया गया है—

खास तौर पर कृषि और सिचाई पर। अगर आप इन पूरक मांगों को देखेंगे तो आप पायेगें कि इस में 18 करोड़ रुपये केवल कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये रखे गये हैं—खास कर उन्नत बीजों पर—हाई ईल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम पर बड़ा ज़ोर दिया गया है ताकि उर्वरक का वितरण ठीक से हो सके, किसानों को मिल सके, कृषि के लिये तकावी मिल सके—खास कर छोटे किसानों को मिल सके। इस के अलावा उर्वरक का वितरण तो होता ही है, लेकिन उन का ठीक से स्टोरेज हो सके, गोदामों में ठीक से रखा जा सके—इस पर पचास लाख रुपया खर्च होगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिये, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लि ढाई करोड़ रुपया रखा गया है—तीन करोड़ रुपया गण्डक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिये रखा गया। एक माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की थी कि गण्डक प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है या नहीं—मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गण्डक योजना आगे बढ़ेगी और जो इस का लक्ष्य है कि 1972–73 तक पूरा हो जायगा—उस को पूरा करने की पूरी कोशिश होगी ताकि 1972–73 तक 7 लाख एकड़ में—उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में—सिचाई का विस्तार हो सके।

इस के साथ ही साथ 50 लाख रुपया फैमिली प्लानिंग स्कीम के लिये रखा गया है। 3 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर के लिये रखा गया है, जिसमें कई मदें शामिल हैं, इस में चुनाव है, पुलिस का रिआर्गेनिजेशन है, कलैक्टरेट और तहसीलों की सुविधायें बढ़ाने की बात है, सड़कों को ठीक से मेन्टेन करने की बात है। ये सारी बातें बहुत संक्षेप में पूरी मांगों के सम्बन्ध में मैंने आपके सामने रखी हैं।

22—5 LSD/68

बहुत से माननीय सदस्यों ने पुलिस तथा ला–एण्ड–आर्डर के बारे में विशेष चर्चा की है। पुलिस तथा ला-एण्ड-आर्डर के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, मैं उन के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इस के बाद गृह मंत्री जी से इस का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन मैं यह बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि सन 1967–68 में लगभग 200 डिस्मिसल्ज़ और रिमूवल फ्रैम सर्विसिज़ इन पुलिस डिपार्टमेन्ट में हुए, 477 का रिडक्शन इन रैंक्स या पे-स्केल और बहुमों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई, दण्ड दिया गया। इस लिये यह कहना...

श्री स० मो० बनर्जी : कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको डिस्मिस किया गया है, वे ही इस तरह के काम कर रहे हैं, वे ही क्राइम्ज़ करा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो डिस्मिस होते हैं वे किस तरह का काम करते हैं, बैनर्जी साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उनका इन लोगों से बड़ा सम्पर्क है। हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो गलत किस्म के आदमी हैं उन को डिस्मिस किया जाय। भले ही वे उन के साथ जा कर मिल जाते हैं।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : कभी-कभी कम्यूनिस्टों के सहयोग से वे पालियामेन्ट में भी आते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अगर फ़ी व्यक्ति खर्चा पुलिस का देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में दो रुपये खर्चा आता है, जो कि सारे देश में सब से कम है—आप चाहे किसी भी प्रान्त को ले लीजिये।

श्री शिव चरण लाल : (फिरोज़बाद) : तभी तो ऐसा करा रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूं कि भारतीजी और बनर्जी साहब

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

अगर सहयोग करें तो खर्चा और घटाया जा सकता है बजाय बढ़ाने के।

यह कहा गया कि जुर्म बहुत बढ़ गए हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है। मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अगर आप 65, 66 और 67 के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि 66 से 67 में सारे आंकड़े एकदम से बढ़ गए। डकैती के आंकड़ बढ़े 13 सौ से 17 सौ, राबरी के आंकड़े बढ़े दो हजार से 2600, मर्डर्स के आंकड़े बढ़े 2500 से 2700, रायट्स के आंकड़े बढ़े 6500 से 6900 और बर्गलरी में बढ़े 31 हजार से 38 हजार। 67 में ये सारे आंकड़े बढ़ गए।.. (**व्यवधान**) पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। 68 में ये आंकड़े फिर घट गए।

श्री बृज भूषण लाल : (बरेली) : उस समय जितने भी क्राइम्स होते थे उन सभी की एन्ट्री होती थी लेकिन राष्ट्रपति शासन में एन्ट्री बन्द हो गई। अब तो थाने में जो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है उसको मारकर बन्द कर देते हैं। इसी के कारण यह हुआ है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : माननीय सदस्य बिना वजह घबरा रहे हैं। मैंने यह तो कहा नहीं कि उस समय कौन सी सरकार थी। चोर की दाढ़ी में तिनका मालूम पड़ रहा है। मैं ने तो सिर्फ यही कहा कि 65 के आंकड़े एक हैं, 66 के आँकड़े ये थे और 68 के आंकड़े यह हैं। मैं ने सरकार की तो बात ही नहीं कही। आप सफाई किस बात की दे रहे हैं?

श्री मोलहू प्रसाद : इसी आंकड़े के साथ-साथ जरा गैर दस्तंदाजी के आंकड़े भी उपस्थित करें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने तो यह बात कही ही नहीं कि 67 में कौन सी सरकार थी, आप परेशान क्यों होते हैं। अगर आंकड़े बढ गए तो बढ़ गए। आप उसका अर्थ समझिए।

श्री शिव चरण लाल : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि 68 में अपराध घटे हैं। अपराध भले ही घटे हों लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो अत्याचार, लूट और रहजनी हो रही है वह बहुत ही बढ़ गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। लेकिन आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उससे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि मैं आंकड़े भी इस सदन के सामने रखूं। .....(**व्यवधान**).....

श्री मोलहू प्रसाद : आपके पास वे आंकड़े नहीं हैं जिनकी हम मांग करेंगे। .....(**व्यवधान**).....

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पूर्वी उत्तर प्रदेश में कारखानों की कमी की यहां पर चर्चा की गई। यह सही है कि तीनों पंच-वर्षीय योजनाओं को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को कम कारखाने मिले हैं और इस कमी को पूरा करना है। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि जो हेवी इन्डस्ट्रीज़ हैं यानी भारी कारखाने इस्पात के या दूसरी चीजों के, उनको टेक्नो-एकोनामिक आधार पर ही कहीं पर लगाया जा सकता है। अगर यू० पी० में कच्चा माल है या यू० पी० में रखकर हीं देश का फायदा हो सकता है तो उन कारखानों को यू० पी० में भी रखा जा सकता है और यदि किसी दूसरे प्रदेश में रखकर फायदा हो सकता है तो वहां पर रखा जा सकता है। मैं समझता हूं इस मामले में उदारता दिखलानी चाहिए। ऐसे बहुत से कारखाने हैं जोकि यू० पी० में भी लग सकते हैं। ....(**व्यवधान**).... जो राक-फास्फेट वहां पर मिला है उसको नेजी से जांच

हो रही हैं।...(**व्यवधान**) वह 15 साल पहले नहीं मिला था बल्कि दो-तीन साल हुए जब मिला है। जियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट में कोई चीज लिख जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट्स करने पड़ते हैं; यह भी मालूम करना पड़ता है कि व्यावसायिक मात्रा में वह चीज उपलब्ध भी है या नहीं।

श्री महाराज सिंह भारती: आश्वासन दे दो कि कब तक एक्स्प्लायट करोगे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जल्दी से जल्दी।

मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कौन-कौन से कारखाने आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उनमें से बहुत कारखाने लगे हैं। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि इन कारखानों के लगने के बाद भी मैं ऐसा नहीं मानता कि वहां की स्थिति संतोष-जनक है। हमको अभी और आगे बढ़ने का प्रयास करना है।

श्री बृज भूषण लाल: मैं एक स्पष्टी-करण चाहता हूं। वहां पर जो बिजली की दर बढ़ी है उसके सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: आखिर में कह लें, जो कुछ कहना हो।

यहां पर चीनी मिलों के सम्बन्ध में भी चिन्ता व्यक्त की गई और कपड़े मिलों के सम्बन्ध में भी। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के ये जो दो प्रमुख उद्योग हैं उनके सम्बन्ध में कठिनाइयां सामने आई हैं। एक तरह से तो वहां की टेक्सटाइल इन्डस्ट्री पिछले कुछ वर्षों से एक क्राइसिस से गुजर रही है। चीनी की मिलों के सामने भी पिछले एक दो सालों से गन्ना कम मिलने की वजह से कठिनाई सामने आई है। पिछले वर्ष जबकि चीनी पर आधा कन्ट्रोल रखा गया और आधा कन्ट्रोल तोड़ दिया गया उसके बाद से गन्ने के दाम कुछ बढ़े। इसलिए इस बार किसान ने ज्यादा गन्ना बोया है और आशा यह की जाती है कि इस सीजन में गन्ना मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिल सकेगा जिससे चीनी का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हमको अभी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है, पर-एकड़ गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है और जो चीनी निकलती है उसके अनुपात को भी बढ़ाना है, गन्ने का नस्ल को भी सुधारना है। इसके बिना, आज जो दक्षिण में चीनी की मिलें लग रही हैं उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि हर सम्भव कदम इस ओर उठाये जायेंगे ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें दक्षिण की चीनी मिलों का मुकाबला कर सकें। उतने ही सस्ते दाम पर यहां भी चीनी पैदा हो सके।

सरजू पांडे जी ने यहां पर एक बात यह कही कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 2 करोड़ ऐकड़ जमीन पड़ी हुई है जोकि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मिलनी चाहिए। इसको सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जोत के अन्तर्गत कुल जमीन साढ़े चार करोड़ एकड़ है।

श्री स० मो० बनर्जी: उनका मतलब 9 लाख से रहा होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने 9 करोड़ ही कहा है। अब बनर्जी साहब उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, वे तो बड़े राष्ट्रीयकरण के हिमायती हैं, प्रगतिवादी व्यक्ति हैं, आखिर यह तो सरकार की जमीन है, इसको फिर से प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाहते हैं।....(**व्यवधान**).....यह बात तो उलटी हो जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : अभी तो मिड टर्म पोल दूर है। में आपसे निवेदन करूंगा कि लैंडलेस लेबर को जमीन बांटने के माने यह नहीं होने कि प्राइवेट आदमियों को जमीन दे दी गई। गरीबों को देने के लिए कहा जा रहा है, यह नहीं कह रहे हैं कि जुग्गीलाल कमलापति को दे दो।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं तो विचारों की दुनिया में आपसे थोड़ी देर टक्कर ले रहा था।

जहां तक उस सरयू योजना का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में एक प्रस्ताव है कि सरयू की योजना को भी पूरा किया जाय।

इस के अलावा यहां पर एक बात यह भी कही गई कि भूमि-भवन कर फिर से लागू कर दिया गया है तो मैं उस का स्पष्टीकरण कर दूं कि जो बकाया रह गया था उसी को वसूल किया जा रहा है और फिर से भूमि-कर लागू करने की कोई योजना नहीं है।

अन्त में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा उस के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने गवर्नर के बारे में यह कहा कि वह इस तरीके से वहां कार्य कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगले चुनाव में सरकारी अफसरों द्वारा सहायता मिले। इस तरीके से वहां पर उन के द्वारा तबादले किये जा रहे हैं कि जिससे कांग्रेस को सहायता मिले। गवर्नर ने ऐडवाइजरी कमेटी के सामने भाषण देते हुए भी यह कहा है :

"He wanted the employees not only to be impartial but also to appear to be impartial."

यही बात उन्होंने बाद में इंडिपेंडैंस डे की सैरीमोनियल परेड को ऐड्रैस करते हुए भी कही इसलिए माननीय सदस्यों के गवर्नर के विरुद्ध लगाये गये उस आरोप में कोई तथ्य नहीं है।

जहां तक वह तबादलों की बात का सम्बन्ध है गवर्नर ने यह आदेश दिया है कि जब तक कोई खास जरूरत न हो तब तक ऊंचे अफसरों को मध्यावधि चुनाव तक ट्रान्सफर न किया जाय ताकि इस तरह का कोई आरोप न लगा सकें। इसलिए गवर्नर तो पूरी कोशिश में है कि सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनाव के अवसर पर न किया जाय लेकिन आज जो माननीय सदस्य इस सवाल को उठा रहे हैं मैं उन से पूछूंगा कि क्या वह पिछले आम चुनावों को याद करते हुए मुझ से वह साफ़ दिल से कह सकते हैं कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनावों में नहीं किया? अगर किया तो उन्होंने गलत किया लेकिन उन्होंने किया या नहीं यह जरा वह सोच लें।

दूसरी यह शिकायत की गई कि गवर्नर साहब का रूल जो है वह तो सरकारी कर्मचारियों का रूल है। गवर्नर रूल आप ले आये। मैं आप से पूछता हूं कि उस को लाया कौन था? उत्तर प्रदेश की बात आप इतनी जल्दी भूल गये कि पिछले आम चुनावों के बाद जब असेम्बली मिली उस वक्त कांग्रेस बहुमत में थी। उस के बाद कुछ कांग्रेस के भगोड़ों को मिला करके आप ने एक सरकार बनाई। उन को आप ने सिर पर बैठाया, मुख्य मंत्री बनाया, मंत्री बनाया। खैर आप ने सरकार बनाई इसलिए अच्छा किया आप को अनुभव हुआ, कुछ तजुर्बे हासिल किये। कुछ जिम्मेदारियां आई, अवश्य ही कुछ जिम्मेदारी भी आई होंगी लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि जनता को भी अनुभव हो गया और आप इस के लिए हमें क्यों दोषी ठहराते हैं? मैं फिर आप

से पूछता हूं कि जब सरकार गिरी तो क्या उसे कांग्रेस ने गिराया था ? यह गवर्नर रूल लाने के लिए आप हम को क्यों दोषी ठहराते हैं ? दरअसल आप उसे नहीं चला पाये, आपस में झगड़े हुए और सरकार गिरी। वैसे मुझे आप से सहानुभूति है लेकिन आप कम से कम गलत बात क्यों करते हैं और हम को क्यों व्यर्थ में इस के लिए दोषी ठहराते हैं ? इसलिए दोष जहां हो वहां दोष दीजिये। आप अपने अंदर देखिये। आपस में देखिये कि एक दूसरे का क्या रवैय्या रहा ? जो लोग 10 महीने साथ नहीं रह सके वह क्या फिर साथ रह पायेंगे ? इस बात पर विचार करिये कि चुनाव में आप को साथ लड़ना है या कैसे लड़ना है ? कुछ सिद्धान्तों के पीछे चलिये, कुछ आदर्शों के पीछे चलिये। आप इस गद्दी का मोह और लालच छोड़ दीजिये जिस गद्दी की लालच ने आप को इस स्थिति में ला दिया है और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल क़ायम किया गया।

फिर आखिर में एक शिकायत हुई कि वहां गुप्ता जी के पास फाइल लेकर सरकारी अफसर लोग जाते हैं। गुप्ता जी के पास सरकारी अफसरान फ़ाइलें लेकर जाते हैं माननीय सदस्य ने जो यह शिकायत की है वह ज़रा इस पर विचार करें कि उन्होंने क्या कहा है ? अब पिछले चुनावों के बाद जब चरणसिंह जी मुख्य मंत्री बनने जा रहे थे उस वक्त अफसर लोग जाकर उनको सलाम करने लग गये थे तो मैं क्या समझूं कि अब अफसरों के मन में यह विचार आ गया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और मुख्य मंत्री गुप्ता जी बनेंगे ? इसलिए आप स्वयं इस अपने कथन पर विचार कर लीजिये। यह बड़ी गम्भीरता से आप के सोचने की बात है। अगर यही उन्होंने सोच-विचार करके अपने सामने रक्खा है तो वह काफ़ी चतुर लोग हैं आख़िर सारे प्रदेश को देखते रहे हैं और इसलिए मैं उस समय केवल यही कहूंगा कि आप गम्भीरता से विचार करिये वरना सारी ज़मीन आप के नीचे से खिसक जायेगी।

Some Hon. Members *rose*—

SHRI S. M. BANERJEE: I want to put only one question... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Order, order. I don't permit this sort of a thing. I am trying to be helpful. If half a dozen Members stand up like this, what can I do.

श्री शारदा नन्द (सीतापुर) : मैं ने बिजली की दर के विषय में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग था और उन्होंने कहा था कि अंत में वह इस के बारे में जवाब देंगे तो मैं चाहता हूं कि उस के बारे में मंत्री महोदय उत्तर दें।

MR. CHAIRMAN: Will the Minister clarify his point?

SHRI K. C. PANT: I can't say.

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : यह जो प्रश्न हमारी पार्टी की ओर से पूछा जा रहा है आखिर मंत्री महोदय उस का उत्तर क्यों नहीं देते ? आखिर सरकार के पास क्या जवाब है ? बिजली की दर के बारे में जो पूछा गया था उस का जवाब दिलवाने में चेयरमैन महोदय आप हमारी मदद करिये।

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. The Minister is not in a position to give any reply. I cannot help it.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय के इस तरह से चुप बैठे रहने और जवाब न देने का कारण क्या है ? जब उन्होंने बिजली की दर के बारे में जवाब देने का वायदा किया था तो अब उस से मुकर क्यों रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Kachwai, I call you to order. Please resume your seat. I cannot force him.

श्री शारदा नन्द : मंत्री महोदय ने मुझ से वायदा किया था कि वह इस के बारे में अंत में जवाब देंगे।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आप मंत्री महोदय से उस का स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये वह कह दें कि हम कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम बैठ जायेंगे।

MR. CHAIRMAN: Order, order. Please resume your seat.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है और यह कि केन्द्रीय सरकार उस में क्या मदद कर सकती है ?

मेरा दूसरा सवाल यह है जैसे कि उन के नुमायन्दे आये थे और गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्हें अवगत कराया था कि 157 आदमी आज भी उस हड़ताल में डिस्चार्ज हुए हैं और उत्तर-प्रदेश की ऐडवाइजरी कमेटी की नैनीताल में जो मीटिंग हुई थी उस में मुझे मालूम हुआ है कि एक राय से यह प्रस्ताव पास किया है कि उन को काम पर वापिस ले लेना चाहिए तो उस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? मैं केवल इन सवालों के बारे में मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं।

SHRI K. C. PANT: As far as the meeting of the Uttar Pradesh Advisory Council goes, I have no knowledge as to what transpired at that meeting. So, I am not really in a position to tell him anything about that meeting. In regard to D.A.—the matter comes up everyday in the House—if the State Government is in a position and has resources to raise D.A., it is welcome to do so. So far as the Central Government goes, its obligations and responsibilities are well known. In the matter of D.A., it is the State Government's responsibility and obligation.

श्री शिव नारायन : बिजली वाली बात का तो जवाब दिया जाना चाहिये। एक किसान के ऊपर 8 रु० बढ़ गया है। यह क्या बात है ? सब सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मांग की है।

MR. CHAIRMAN: No, No. I shall now put the Cut Motions to the vote of the House. We are already much behind the schedule.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मुझे आप एक सवाल पूछने दीजिये। आप सदस्यों में भेद भाव क्यों करते हैं ?

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? You cannot obstruct the proceedings of the House. Please resume your seat.

श्री हुकम चन्द कछवाय : यहां पर एक सवाल का उत्तर नहीं आया।

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 1 to 39, to the vote of the House.

Cut Motions 119 *to* 142 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions 42 to 108, to the vote of the House.

Cut Motions No. 42 *to* 108 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 119 to 142 to the vote of the House.

Cut Motions 119 *to* 142 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 144 to 156, to the vote of the House.

Cut Motions Nos. 144 *to* 156 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts

shown in the third column of the order paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 9 to 11, 14, 15, 17 to 19, 21, 23 to 26, 28, 29, 31 to 33, 36, 44 to 50, and 53."

The motion was adopted.

[*The motions for Demands for Grants relating to Uttar Pradesh which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 9, ELECTIONS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 56,11,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Elections'."

DEMAND NO. 10, GENERAL ADMINISTRATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,900 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'General Administration'."

DEMAND NO. 11, COMMISSIONERS AND DISTRICT ADMINISTRATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 22,87,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Commissioners and District Administration'."

DEMAND NO. 14, JAILS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 74,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Jail'."

DEMAND NO. 15, POLICE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,55,900 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Police'."

DEMAND NO. 17, SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,37,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scientific Research and Cultural Affairs'."

DEMAND NO. 18, EDUCATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Education'."

DEMAND NO. 19, MEDICAL

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 15,22,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Medical'."

DEMAND NO. 21, AGRICULTURAL DEVELOPMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 500 be granted to the

President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Agricultural Development'."

DEMAND NO. 23, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Animal Husbandry and Fisheries'."

DEMAND NO. 24, CO-OPERATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 12,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Co-operation'."

DEMAND NO. 25, INDUSTRIES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,90,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Industries'."

DEMAND NO. 26, PLANNING AND CO-ORDINATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 100 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Planning and Co-ordination'."

DEMAND NO. 28, INFORMATION DIRECTORATE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Information Directorate'."

DEMAND NO. 29, SCHEDULED AND BACKWARD CLASSES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scheduled and Backward Classes'."

DEMAND NO. 31, IRRIGATION WORKS MET FROM REVENUE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,02,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Works met from Revenue'."

DEMAND NO. 32, IRRIGATION ESTABLISHMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Establishment'."

DEMAND NO. 33, PUBLIC WORKS MET FROM REVENUE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,45,59,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works met from Revenue'."

DEMAND NO. 36, GRANTS-IN-AID OF PUBLIC WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Grants-in-aid of Public Works'."

DEMAND NO. 44, EXPENDITURE CONNECTED WITH NATIONAL EMERGENCY

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,15,700 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Expenditure connected with National Emergency'."

DEMAND NO. 45, CAPITAL OUTLAY ON AGRICULTURAL SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,00,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Agricultural Schemes'."

DEMAND NO. 46, CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,06,21,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

DEMAND NO. 47, CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,00,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Multipurpose River Schemes'."

DEMAND NO. 48, CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,43,09,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Irrigation Works'."

DEMAND NO. 49, CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,31,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

DEMAND NO. 50, CAPITAL OUTLAY ON ROAD TRANSPORT AND OTHER SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,82,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Road Transport and other schemes'."

DEMAND NO. 53, LOANS AND ADVANCES BEARING INTEREST

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,65,40,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Loans and Advances bearing Interest'."